राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः— मुसप्र/नीलामी/2017/[illegible] दिनांकः—29/11/17

आदेश

खण्ड—बांरा के अधीन आवासीय योजना अटरू, में विभिन्न आय वर्गो के कुल 31 अवशिष्ठ स्वतंत्र आवासो का उप आवासन आयुक्त वृत कोटा/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तृतीय के माध्यम से नीलामी द्वारा निस्तारण करने हेतु मण्डल की 219 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 219.29 के अन्तर्गत प्रस्ताव भिजवाया गया है, अतः निम्नांकित विभिन्न श्रेणी के आवासो को नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	श्रेणी	मकान सं.	मकानो की संख्या
1	Gharondha	1/25, 1/46, 1/204, 1/220, 1/227	5
2	E.W.S.	2/88, 2/93, 2/96, 2/98, 2/104, 2/120, 3/6, 3/9, 3/11, 3/13, 3/14, 3/16, 3/17, 3/26, 3/31, 3/32	16
3	LIG	2/48, 1/234, 1/236, 1/237	4
4	MIG-A	2/2, 2/218	2
5	MIG-B	2/197, 2/199, 2/201	3
6	HIG	2/190	1
		TOTAL	31

उप आवासन आयुक्त वृत कोटा/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—तृतीय द्वारा भिजवाये गये आवासो का निम्नलिखित शर्तो के आधार पर नीलामी के माध्यम से निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है।:—

1. आवासीय योजना में आवास/ फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/ फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014—15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/ फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार—प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।"
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत कोटा।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड बांरा, रा0आ0म0 बांरा।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

Order 2017